



24.54 लाख आईआर लॉन्ग
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लॉन्ग कुल 8.90 करोड़ आबकर रिटर्न (आईआर) में से लगभग 24.54 लाख रिटर्न 90 दिनों में अधिक समय से प्रोसेसिंग के लिए लॉन्ग है। वित्त सत्र मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि 4 फरवरी तक कुल 8,79,62,234 रिटर्न दाखिल किए गए थे। मंत्री ने एमबीसीटीई अधिकार की सरफला को भी ध्यान दिया। इसके माध्यम से विपक्ष 2 वर्षों में 1.11 करोड़ सोसिटी रिटर्न दाखिल हुए, जिससे 6,97,50 करोड़ का अधिकार टैक्स प्राप्त हुआ।

तृणमूल का नहीं मिला साथ



बजट पर चर्चा की शुरुआत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कराया पर अंतिम कोष में तृणमूल का भी साथ नहीं मिला। तृणमूल संसदीय दल में शामिल भी नहीं हुए। संसद सत्र में तृणमूल संसद नए नेता प्रतीपक्ष, सांसदों, सांसदों और एमएलए प्रत्याशियों ने कांग्रेस से दूरी बनाई।

सीटें खाली न रहें, इसलिए घटाई नीट पीजी के लिए योग्यता पात्रता

नई दिल्ली। कैबिनेट सत्र में पीजी मॉडल के पीजी की खाली रहने से बचाने के लिए पीजी काउंसिलिंग 2025 की योग्यता पात्रता को कम कर दिया है। स्वच्छता राजनीति अग्रिम पटल ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूर दूर की काउंसिलिंग के बाद मॉडल काउंसिलिंग को भी 29,476 लोगों में से 5,621 सीटें खाली रह गईं।

इसके अलावा, राज्य के कोड और डिप्लोमा ऑफ नैशनल कोड (एनपीसी) सीटों को विद्यार्थी लगभग 20,000 सीटें खाली पड़े हैं। नीट में सफ्ट किंग कि डिप्लोमा डिप्लोमा की सीटें तक इस बार भी अधिकतम सीटों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। यूरो

अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए समय : तृणमूल

मुख्य रूप से कांग्रेस के इस प्रस्ताव से लोकसभा में विपक्षी सीटें बड़ी विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बना ली है। हालांकि सभा, राहुल, प्रताप, बमदाली ने प्रस्ताव का समर्थन किया। तृणमूल संसदीय दल के अध्यक्ष अशोक बमदाली ने कहा कि इस मामले में अल्पसंख्यक दल का मत नहीं माना जाएगा। उन्हें कोई सीटें नहीं और वे सब विचारक अल्पसंख्यक दल को नहीं चाहिए। इसके बाद तृणमूल ने अध्यक्ष नहीं होना, तब नीटिस रिजल्ट जाना। उन्होंने कहा कि रिजल्ट नहीं होना, तब नीटिस रिजल्ट जाना। उन्होंने कहा कि रिजल्ट नहीं होना, तब नीटिस रिजल्ट जाना।

नोटिस में राहुल गांधी के हस्ताक्षर नहीं

नोटिस में जिन 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, उनमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम नहीं है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि ऐसा संसद की सम्मान मर्यादाओं और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नोटिस में पल्लव हस्ताक्षर कांग्रेस महासचिव केपी सुगुप्ता, दूसरे द्रुपद सचिव टीआर बाबू व तीसरा सचिव प्रमोद अश्विनी वरदा का है।

सदन के संचालन से दूर रहे बिरला

अविस्मर प्रस्ताव की हलचल के बीच अध्यक्ष बिरला ने मंगलवार को सदन की कार्यवाही के संचालन से दूरी बना ली। सांसदों का कहना है, बिरला जब तक कार्यवाही का संचालन नहीं करेंगे, जब तक अविस्मर प्रस्ताव पर फैसला नहीं होगा। नोटिस में अब बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन 9 घण्टे को प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

इस नोटिस को कोई अर्थ नहीं है। सरकार के पास संसदा बल है। कांग्रेस तबधनी आरोपों के जोरों से कांग्रेस को हड़कें करती जा रही है। देश ने देखा है कि सत्र के दौरान कांग्रेस सांसदों ने संसदीय परंपराओं की पालना नहीं की।

-किशन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री

पूर्वाचल रेलवे

ई-निविदा सूचना
निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रस्तावित 'कुली' निविदाएं 'बिडिंग' करवाए गए हैं। निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार निविदाएं 14/02/2026 तक 10:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान पर जमा की जाएंगी।

विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ी तो टूटा कांग्रेस का हठ, खत्म हुआ गतिरोध

लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू : राहुल की जिन नहीं हुई पूरी...सपा सांसद ने पूरक सवाल भी पूछे

अमर उजाला व्यंग्य

नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पहले बोलने देने की जिद पूरी हुए बिना ही कांग्रेस को आम बजट पर चर्चा के लिए राजी होना पड़ा। दरअसल, अपने इस रुख की वजह से कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के अलग-थलग पड़ गई थी। सरकार ने भी इसे पारी लिया और मंगलवार को बिना रात गतिरोध खत्म करने पर अड़ गई। सहयोगियों के विपरीत रुख के कारण मजबूर कांग्रेस को भी आखिरकार झुकना पड़ा।

दरअसल, सोमवार और मंगलवार को हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में सपा, तृणमूल और वाम दल बजट सत्र पर चर्चा को जवाब नहीं होने देने के बंध में थे। सपा और तृणमूल का कहना था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते समेत बजट की खामियों पर सरकार को घेना चाहिए। इसके बाद मंगलवार को प्रस्तावक के दौरान तृणमूल के सदस्य कांग्रेस के साथ विरोध में शामिल नहीं हुए, वहीं सपा संसद इकरा सत्र में कांग्रेस के रुख के उलट पूरक सवाल भी पूछे।

अधिकांश का विचार : बदली परिस्थितियों में कांग्रेस को अपने अतिव्यय प्रस्ताव की चिंता हुई, क्योंकि तृणमूल इसके लिए भी तैयार नहीं थी। सहयोगियों के प्रतिकूल रुख के बाद कांग्रेस ने ध्यान नीटिस से एकजुटता दिखाने में लाया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सपा समेत इन सत्र से संपर्क साधा, जिसका रुख इस मामले में भी स्पष्ट नहीं था। हालांकि तृणमूल को छोड़ अन्य सहयोगी नीटिस पर हस्ताक्षर के लिए तैयार हो गए।

अखिलेश : दूबीने से भी नहीं दिख रहा फायदा...भाजपा बताए शून्य बड़ा या 18



बजट पर चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर तर्ज कसते हुए कहा कि भाजपा बजट शून्य बड़ा है या 18। अखिलेश ने कहा, इस बजट में लोगों पर बोझ डालने के अलावा कुछ नहीं किया। लोग खरीदें व्यापार बूझ रहे कि उनका किए क्या है।

व्याख्या को लेकर सरकार ने कहा, उस बजट में नहीं उठाया। यूरो में तो और बुरा हुआ है। अमेरिका को खानों को बला कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम नहीं दे रहे। दिल्ली के एम्स के लिए 5600 करोड़ दिए और पूरे देश के आधुनिक के लिए 4700 करोड़ दिए। बाकि किसी को बोझ नहीं पड़े।

अखिलेश ने कहा, सरकार किसानों के लिए कोई योजना नहीं, लेकिन उरु मजदूर होकर खपार लेना पड़ा। अब वे फिर नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के उद्योगिक किसानों को एम्प्लॉय कर दो।

सरकार बताए कि भाजपा और आर का कामगार किसानों को क्यों नहीं मिल रही है। किसानों बेरोजगार कर रही है। मेक उर इंडिया का रोल और जग रहा है। हमारे योजनाएं फेल हो रही हैं। अगर योजनाओं नहीं खस कर पा रहे हैं।

सरकार ने संपर्क को पुनरा : विपक्ष में फूट को सरकार ने सही मौके पर चुनकर। पहले प्रस्तावक के दौरान संसदीय कार्य मंत्री पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोल दिया कि

व्यापार समझौते पर पूंछ पोंग खेल रहे मंत्री : थरु



कांग्रेस सांसद रमेश धरु ने बजट पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि बजट को असली कमजोरी इसके कार्यवाह्यता में निहित है क्योंकि

बयानबाजी कार्यावहिकता से मेल नहीं खाती। एक मीडिया प्रोपेट का हवाला देते हुए धरु ने कहा कि

विपक्ष में 53 कार्यवाहकरी योजनाओं के लिए पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान था, पर पहले भी नहीं होने में केवल 41% ही खर्च किया गया।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के मुद्दे पर धरु ने कैबिनेट मंत्री एस मय्यरकर और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और सिंग पोंग खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब दोनों भी कहते हैं कि जवाब देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और एक-दूसरे पर जवाब होता है तो यह बहुत निराशाजनक प्रतीत होता है।

गतिरोध टूटा तो उल्टा लागू कर दो, तृणमूल कांग्रेस सांसद अशोक बमदाली ने कहा, सरकार नीटिस में मॉडल को उल्टा लागू कर रही है। गतिरोध से टैक्स और महंगाई के जोरों पैदा किया जा रहा है, जबकि अमेरिका को रियायतें दी जा रही हैं। सला वगैर में प. बंगाल ने 6.5 लाख करोड़ टैक्स के रूप में दिए, पर 1.90 लाख करोड़ रुपये का बकाया नहीं मिला।

उसे छोड़ कर सभी विपक्षी सदस्य चलाना चाहते हैं। विपक्ष के साथ बैठक में कानून मंत्री अनुराग मधुकर ने दो टुक कर कहा कि सदन चलाने के लिए सरकार एक भी शर्त नहीं मानेगी।

अब भाजपा की महिला सांसदों ने लिखा पत्र स्पीकर पर भरोसा, सदन की गरिमा के लिए दिखाया धैर्य

नई दिल्ली। भाजपा की 11 महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख कर न सिर्फ उन पर भरोसा जताया है, बल्कि 4 फरवरी को सदन काग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसदों के असमंजस आचरण पर कड़ी आंखि जताते हुए काग्रेस की मांग की है। पत्र में उस घटना का व्यापक विश्लेषण किया गया है, जिस दिन हमारे के काग्रेस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अतिथिभवन पर हुई चर्चा का जवाब नहीं दे पाए थे।

महिला सांसदों ने उस दिन स्पीकर की भूमिका को तारीफ की है। इसमें लिखा है कि तब स्पीकर ने सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए बहुत धैर्य और मजबूती दिखाई। ये पत्र ऐसे महिला सांसदों ने लिखा है जब कांग्रेस के सांसद सांसदों ने सोमवार को स्पीकर को पत्र लिख कर उनके सदन चलाने के तर्कों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा कि हमारे भी स्पीकर लिखा सांसद सांसदों को पत्र लिख कर सोट तक पहुंच गई। वहीं पत्र लिखों की भी जरूरत। ऐसे में संसदीय मर्यादा की रक्षा के लिए ऐसे सांसदों के धैर्यपूर्ण कार्रवाई जरूरी है। यूरो

कांग्रेस के व्यवहार से लोकसभा में बिगड़ सकती थी स्थिति : रिजिजू

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किशन रिजिजू ने कहा कि 4 फरवरी को भाजपा सांसदों को नहीं रोक जा और महिला सांसदों की कांग्रेस सदस्य से विद्रोह

दिखा जाते, तो स्थिति और बिगड़ जाती। उस दिन प्रधानमंत्री नेतृ में कांग्रेस की अतिथिभवन पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना था। विपक्षी सांसद बजट में स्पीकर के रुख में गए और उन्हें पत्र लिखा। रिजिजू ने कहा, बीजिड ने कहा कि विपक्ष को महिला सांसद प्रधानमंत्री की सेंट तक पहुंच गई थी। विपक्ष के व्यवहार को सही तरीका था जो सदन की गरिमा नहीं खोती।

उन्होंने कहा कि सलाह का सांसद स्पीकर के अतिथिभवन लिख कर कांग्रेस की सदस्य सांसदों को सही तरीका था जो सदन की गरिमा नहीं खोती।

उत्तराख में शामिल न हो। उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस की कई महिला सांसद ट्रेनी बेंच पर कर प्रधानमंत्री की सेंट तक पहुंच गईं। भाजपा और एनडीए के सांसद इस व्यवहार से नाजब थे, खासकर महिला सांसद। यूरो

अविस्मर प्रस्ताव : नोटिस में गलत तरीका, भाजपा ने कसा तंज

कांग्रेस के खिलाफ अविस्मर प्रस्ताव के नोटिस में तबकीनी खामियां आई हैं। नोटिस में वर्ष 2026 की जगह वर्ष 2025 लिखा गया था, जिससे मंत्री अविस्मर प्रस्ताव जमा गया। इसके बाद कांग्रेस ने संसदीय नीटिस के साथ प्रस्ताव दोबारा जमा किया। भाजपा ने इस पर कांग्रेस व राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रमो बिजिड तो ठीक से नोटिस भी जमा नहीं कर पाए। कांग्रेस सचमच एक बालक बुझि पार्टी है।

ज्या है आरोप : नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति के अतिथिभवन पर लागू पर भयानक प्रस्ताव पर सपा पर गलती करने दिखाया। आसन पत्र में उस प्रस्ताव के लिए कांग्रेस प्रवक्ता ने न रुकते अग्रजता है। 3 फरवरी को भाजपा ने तर्कों से कांग्रेस के 8 सदस्यों को निलंबित कर दिया था। निलंबितों के अधिकारों का हस्तांतरण को सजा दी गई। 4 फरवरी को

अध्यक्ष को हटाने के प्रयास कभी सफल नहीं संसदीय इतिहास में चौथी बार स्पीकर को हटाने के लिए विपक्ष लाया अविस्मर प्रस्ताव

नई दिल्ली। विपक्षी सांसदों की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए दिए गए अविस्मर प्रस्ताव के नोटिस के बीच तथ्य क्या है कि स्पीकर को हटाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। संसदीय इतिहास में चौथा मौका है, जब स्पीकर को हटाने के लिए विपक्ष ने नोटिस दिया है।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। संसिधायक अरुंधत 94 सीटों में अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। सदस्य में साधारण बहुमत पर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष से हट सकते हैं।

विपक्षों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम दो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि दो से अधिक संसद भी हस्ताक्षर कर सकते